"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी 2016— माघ 27, शक 1937

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-8/दो/8-परिवहन/02. — यत:, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-8/दो/8-परिवहन/02, दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त आस्तियों, दायित्वों, अधिकारों एवं कर्मचारियों को अभिप्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (जो इसमें इसके पश्चात् सीआईडीसी के रूप में निर्दिष्ट है) को अधिकृत किया गया है.

अतएव, उक्त अधिसूचना में उल्लिखित शब्द "आस्तियों, दायित्वों, अधिकारों एवं कर्मचारियों को अभिप्राप्त करने" के आशय को स्पष्ट करने के लिये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा स्पष्ट करती है कि मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के विभाजन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अभिप्राप्त की गई सभी आस्तियों, दायित्वों, अधिकारों एवं कर्मचारियों को दिनांक 13-12-2002 से सीआईडीसी के अधीनस्थ माने जायेंगे और उक्त विघटित निगम से प्राप्त सभी कर्मचारी, सीआईडीसी में संविलित माने जायेंगे तथा सीआईडीसी नियोक्ता होगा;

यह अधिसूचना वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है.

No. F 6-8/II/8-Trans./02. — Whereas, this department vide its Notification No. F 6-8/II/8-Trans./02, dated 13th December, 2002 authorized Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation (hereinafter referred to as CIDC) to receive the assets, liabilities, rights and employees obtained as a result of division of Madhya Pradesh State Road Transport Corporation;

Now therefore, in order to clarify the intension as to the words "to receive the assets, liabilities, rights and employees" mentioned in the said notification, the State Government, hereby, clarifies that all the assets, liabilities, rights and employees received by the Chhattisgarh State due to division of Madhya Pradesh State Road Transport

Corporation shall be deemed to be subordinate to CIDC with effect from 13-12-2002 and all employees received from the said disintegrated Corporation shall be deemed to be absorbed in CIDC and CIDC shall be the employer;

This notification is being issued with the consent of Finance Department.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.